सं. 38/41/06-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली.
दिनांक : 5 मई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- नई परिभाषित अंशदायी पेंशन पद्धति (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/नि:शक्तता होने पर अतिरिक्त राहत ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1-1-2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, वित्त मंत्रालय के दिनांक 22-12-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2003-ई.सी.बी. द्वारा अधिसूचित नई परिभाषित अंशदायी पेंशन पद्धति (नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाने वाली) द्वारा विनियमित होती है ।

2. नई पेंशन योजना लागू होने पर, अन्यों के साथ दिनांक 30-12-2003 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली में संशोधन किए गए । संशोधित नियमावली के अंतर्गत, दिनांक 1-1-2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को असमर्थता पेंशन/नि:शक्तता पेंशन और परिवार पेंशन/असाधारण परिवार पेंशन/उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड की प्रसुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी ।

3. तदनंतर, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने यह स्पष्ट किया है कि नई पेंशन योजना, सामान्य परिस्थितियों में केवल पेंशन के लिए तथा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन के स्थानापन्न के रूप में है ।

4. सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कार्यदल ने कतिपय अतिरिक्त प्रसुविधाओं की सिफारिश की है, जो कि नई पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु अथवा असमर्थता/नि:शक्तता के कारण कार्यमुक्त होने पर प्रदान की जा सकती हैं । नई पेंशन पद्धति के तहत इन प्रसुविधाओं को विनियमित करने वाले नियम बनाने में कुछ समय लग सकता है ।

5. इस बीच, दिनांक 1-1-2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले ऐसे कर्मचारियों द्वारा जो असमर्थता/नि:शक्तता होने पर कार्यमुक्त कर दिए जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों के परिवारों द्वारा जो 1-1-2004 से लेकर सेवा के दौरान दिवंगत हो गए हैं, सामना की जा रही कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति, नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सिविल सरकारी कर्मचारियों को अगले आदेश होने तक अनंतिम आधार पर निम्नलिखित प्रसुविधाएँ प्रदान करते हैं :-

(I) असमर्थता, जो सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई, होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति :

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 और नियम 49 के अनुसार गिनी गई असमर्थता पेंशन ।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 के अनुसार गिनी गई सेवानिवृत्ति उपदान ।

(II) सेवा के दौरान मृत्यु, जो सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई :

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के अनुसार परिकलित परिवार पेंशन (बढ़ी हुई परिवार पेंशन सहित)

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 के अनुसार परिकलित मृत्यु उपदान ।

(III) सरकारी ड्यूटी के कारण होने वाले रोग/चोट की वजह से सरकारी सेवा से कार्यमुक्ति :

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत परिकलित नि:शक्तता पेंशन

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 50 के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत परिकलित सेवानिवृत्ति उपदान

(IV) सेवा के दौरान सरकारी ड्यूटी के कारण होने वाली मृत्यु :

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत परिकलित असाधारण परिवार पेंशन और उदारीकृत पेंशन संबंधी अवार्ड योजना ।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 के अंतर्गत परिकलित मृत्यु उपदान ।

कर्मचारी/उसके परिवार को उपर्युक्त प्रसुविधाओं के साथ-साथ समय-समय पर अनुज्ञेय मंहगाई पेंशन / मंहगाई राहत भी अनंतिम आधार पर प्रदान की जाएगी ।

6. उपर्युक्त अनंतिम भुगतानों को उच्चस्तरीय कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार किए गए भुगतान के साथ समायोजित किया जाएगा । वसूली, यदि कोई है, तो उसे उन नियमों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में से वसूल किया जाएगा ।

7. उच्चस्तरीय कार्यदल की सिफारिशों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/कार्यमुक्त होने पर विभिन्न प्रसुविधाओं का प्रतिपादन किया गया है, जिनका भुगतान कर्मचारी के नई पेंशन योजना के खाते में एकत्रित धनराशि में से मासिक-वार्षिक पेंशन को समायोजित करके किया जाएगा । अत: किसी कर्मचारी/कर्मचारी के परिवार को उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित अनंतिम प्रसुविधाओं की प्राप्ति होने की अवधि के दौरान मासिक-वार्षिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

8. ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी के कार्यमुक्त/मृत्यु हो जाने पर नई पेंशन योजना के तहत उनके खाते में एकत्रित धनराशि का कर्मचारी/कर्मचारी के परिवार को भुगतान कर दिया गया है, वहां उनके संबंध में वित्तीय सेवा विभाग/पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नियमों/विनियमों के

अनुसार कर्मचारी के कार्यमुक्त होने/मृत्यु होने की तारीख से मासिक-वार्षिक पेंशन की राशि की गणना की जाएगी तथा इस संबंध में नियम अधिसूचित होने के बाद, प्रसुविधाओं/राहत के भुगतान के साथ इस राशि का समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाएगा ।

9. ये अनुदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्होंने दिनांक 1-1-2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तथा ये अनुदेश उसी तारीख अर्थात् 1-1-2004 से लागू होंगे ।

10. यह आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 13-4-2009 की यू.ओ.संख्या 127/ई.वी./2009 द्वारा प्राप्त सम्मति से जारी किया जाता है ।

(एम. पी. सिंह)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. मानक डाक-सूची के अनुसार ।